

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम० आर० केश नं०- 172/2021-22

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक- 1011, दिनांक- 10.08.2022 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदिका सोहागी नापित, पति- स्व० छुट्टु नापित, साकिम- काशीटॉड़, थाना- बरवाअड्डा, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- काशीटॉड़, मौजा नं०- 93, गत् खाता सं०- 7, 31, 15, 10, गत प्लॉट सं०- 123, 121, 122, 123, 563, 562, 624, 892, 591, 586, 590, हाल खाता सं०- 74, 73, हाल प्लॉट सं०- 153, 154, 155, 624, 635, 674, 908, 638, 639, 691, 642, क्रमशः रकबा- 9.66 डि०, 2 डि०, 1 डि०, 7.33 डि०, 5 डि०, 16 डि०, 8.15 डि०, 3.33 डि०, 4 डि०, 2 डि०, 3.66 डि० भूमि क्रेता 1. हीरालाल नापित, 2. भागीरथ नापित, दोनों के पिता- स्व० रतन नापित, साकिम- काशीटॉड़, थाना- बरवाअड्डा, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता जाति के नाई हैं तथा दोनों एक ही थाना- बरवाअड्डा, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 1.69 ^{9/4} एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।